छत्तीसगढ़ शासन
गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर
// आदेश //

रायपुर दिनांक - 13.06.2024

क्रमांक एफ 2-02/2024/दो-गृह/भापुसे : जिला बलौदाबाजार-भाटापारा में मई 2024 के दौरान सतनामी समाज के धार्मिक स्थल को पहुँचाई गई क्षति की घटना के संबंध में प्राप्त शिकायतों अनुसार पुलिस प्रशासन द्वारा यथोचित कार्यवाही नहीं किये जाने के कारण श्री सदानंद कुमार, भापुसे (सीजी-2010) तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन है। अतएव राज्य शासन एतद्द्वारा **श्री सदानंद कुमार**, भापुसे (सीजी-2010) तत्का. पुलिस अधीक्षक, बलौदाबाजार-भाटापारा वर्तमान पदस्थापना उप पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय, रायपुर को अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम, 1969 के नियम 3 (1) (a) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित करता है।

2/ निलंबन अवधि में **श्री सदानंद कुमार**, भापुसे (सीजी-2010) का मुख्यालय, पुलिस मुख्यालय, रायपुर रहेगा। निलंबन अवधि में श्री सदानंद कुमार को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी तथा श्री सदानंद कुमार निलंबन अवधि में सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

CMO CHHATTISGARH

13/6/24

(मनोज कुमार श्रीवास्तव)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, गृह (पुलिस) विभाग

पृ.क्र. एफ 2-02/2024/दो-गृह/भापुसे, रायपुर, दिनांक-13.06.2024

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली ।
2. सचिव, मान. राज्यपाल, राजभवन, छत्तीसगढ़, रायपुर
3. मान. मुख्यमंत्री के सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)
4. पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़, रायपुर
5. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (प्रशासन), पुलिस मुख्यालय, रायपुर (छ.ग.)
6. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर (छ.ग.)
7. मुख्य सचिव के अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)
8. विशेष सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री गृह विभाग, छत्तीसगढ़, रायपुर (छ.ग.)
9. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग के निज सहायक, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
10. जिला कोषालय अधिकारी, जिला रायपुर (छ.ग.)
11. संबंधित अधिकारी - **श्री सदानंद कुमार**, भापुसे (सीजी-2010) द्वारा-पुलिस महानिदेशक, (छ.ग.)
12. व्यक्तिगत नस्ती/पी.ए.आर. लिपिक/आर्डर फोल्डर

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

13/6/24
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, गृह (पुलिस) विभाग

Scanned with CamScanner